



UPSI180036062024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-392/2024

वादी की प्रकृति	मो० तौहीद	बनाम	मो० सलीम आदि।
वादा का मूल्यांकन		स्थाई निषेधाज्ञा	
अधिवक्ता का नाम		5,00,000/-रुपये	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि		श्री मनोज कुमार वर्मा	
		07.11.2024	

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र-6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक 17.12.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)  
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

**निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2**

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय मकान जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित किया गया है, जोकि स्थित मोहल्ला पैगम्बरपुर, कस्बा व परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर वादी के शान्तिपूर्ण व कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 9 ग 1 से कोई भी प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

**कार्यालय की आख्यानानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।**

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-17.12.2024 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनांक-17.12.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)  
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।  
J.O Code-UP3555

**निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2**

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये एडवोकेट कमिश्नर विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। एडवोकेट कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि एडवोकेट कमिश्नर की सूची से क्रमानुसार एडवोकेट कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांक:-07.11.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)  
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।  
**J.O.Code-UP3555**

**UPS1180036062024**